

पत्रांक : उ०वि०शि०प० / वि०प० / ए०आ०आ०वि० / प्र०प० 2024 / ८१ - ८८ / 2023-24, दिनांक १७ फरवरी 2024।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी (देहरादून), बाजपुर (उ०सि०नगर) खटीमा (उ०सि०नगर) एवं मेहरवाना, चकराता (देहरादून), में सत्र 2024-25 हेतु कक्ष 06 में प्रवेश के लिए राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में वर्तमान शिक्षा सत्र 2023-24 में कक्ष 05 में अध्ययनरत, उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति (ST), विमुक्त जनजाति (DNT), घुमंतू जनजाति (NT), अर्द्ध घुमंतू जनजाति (SNT) एवं कोविड/वामपंथी अतिवाद (LWE)/ Insurgencies में अपने माता-पिता को खोने वाले बालक/बालिका, विधवा माता के बालक/बालिका, दिव्यांग माता-पिता के बालक/बालिका, एकलव्य विद्यालयों के भूमिदानदाता के बालक/बालिका, अनाथ बालक/बालिका, छात्र/छात्राओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप प्रदेश के समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय, खण्ड शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, रा०ए०आ०वि० कालसी/बाजपुर/खटीमा/मेहरवाना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। आवेदन पत्र, परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा सम्बन्धी विस्तृत निर्देश उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) की वेबसाइट www.ubse.uk.gov.in में DEPARTMENTAL EXAM आईकॉन पर उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड करके भी आवेदन किया जा सकता है। अस्थर्थ की आयु 31 मार्च 2024 को 10 वर्ष से 13 वर्ष के मध्य होनी चाहिए अर्थात् उसका जन्म 31 मार्च 2011 से 01 अप्रैल 2014 के मध्य हुआ हो (उक्त दोनों तिथियां समिलित हैं)। छात्र/छात्रा द्वारा पूर्ण रूप से पूरित आवेदन पत्र दिनांक 11 मार्च 2024 को सायं 5:00 बजे तक "सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, विभागीय परीक्षा अनुभाग, रामनगर (नैनीताल) पिन - 244715" के पते पर पंजीकृत डाक से अवश्य पहुँच जाने चाहिए। लिफाफे के बाहर "एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 हेतु आवेदन पत्र" अवश्य लिखा होना चाहिए। प्रवेश परीक्षा माह मई 2024 द्वितीय/तृतीय सप्ताह में करायी जानी प्रस्तावित है।

सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)।

पत्रांक : उ०वि०शि०प० / वि०प० / ए०आ०आ०वि० / प्र०प० 2024 / ८१ - ८८ / 2023-24 दिनांक उक्तवत।
प्रतिलिपि : निम्नांकित की सेवामें सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- निदेशक माध्यमिक शिक्षा/सभापति उ०वि०शि०प०, ननूरखेड़ा, देहरादून।
- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
- निदेशक, जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड, शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला, देहरादून।
- सचिव, एकलव्य विद्यालय संगठन समिति, देहरादून एवं संयुक्त निदेशक, जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड, शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला, देहरादून।
- समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड को परीक्षा विज्ञप्ति, आवेदन-पत्र का प्रारूप एवं विस्तृत निर्देश इस आशय से कि आप अपने जनपद में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक अर्ह छात्र-छात्राओं को परीक्षा में प्रतिभाग करवाने का कष्ट करें।
- समस्त खण्ड/उप शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड को परीक्षा विज्ञप्ति, आवेदन-पत्र का प्रारूप एवं विस्तृत निर्देश इस आशय से कि आप अपने विकासखण्ड में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक अर्ह छात्र-छात्राओं को परीक्षा में प्रतिभाग करवाने का कष्ट करें।
- प्राचार्य, कालसी, बाजपुर, खटीमा एवं मेहरवाना, चकराता।
- सम्पादक दैनिक अमर उजाला, दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान को इस आशय से प्रेषित कि अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के उस पृष्ठ पर 10X10 वर्ग सेमी में न्यूनतम शासकीय दरां पर प्रकाशित करें जिसका प्रचार प्रसार पूरे राज्य में हो। विज्ञप्ति प्रकाशन के पश्चात समाचार पत्र की प्रति के साथ बिल दो प्रतियों में जिला सूचना अधिकारी से सत्यापित कराने के बाद भुगतान हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)।

कार्यालय : सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल)।

पत्रांक : उ०विंश०प० / वि०प० / ए०आ०आ०वि० / प्र०प० 2024 / ८० / 2023–24 दिनांक ^{०७} जूनवरी 2024।

:: एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी (देहरादून), बाजपुर (उ०सि०नगर) खटीमा (उ०सि०नगर) एवं मेहरवाना, चकराता (देहरादून), प्रवेश परीक्षा 2024 विज्ञप्ति ::

निदेशक, जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 264–65 / ज०जा०क० / ई०ए०म०आ०ए०स० / प्रवेश परीक्षा –24 / 2023–24, दिनांक 22 दिसम्बर 2023 एवं पत्रांक : : 6037-39 / ज०जा०क० / ई०ए०म०आ०ए०स० / प्रवेश परीक्षा –24 / 2023–24, दिनांक 02 फरवरी 2024 के क्रम में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी (देहरादून), मेहरवाना (देहरादून) बाजपुर (उ०सि०नगर) एवं खटीमा (उ०सि०नगर) में सत्र 2024–25 हेतु कक्षा 06 में प्रवेश हेतु राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में वर्तमान शिक्षा सत्र 2023–24 में कक्षा 05 में अध्ययनरत, उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति (ST), विमुक्त जनजाति (DNT), घुमंतू जनजाति (NT), अर्द्ध घुमंतू जनजाति (SNT) एवं कोविड/वामपंथी अतिवाद (LWE)/ Insurgencies में अपने माता—पिता को खोने वाले बालक/बालिका, विधवा माता के बालक/बालिका, दिव्यांग माता—पिता के बालक/बालिका, एकलव्य विद्यालयों के भूमि दानदाता के बालक/बालिका, अनाथ बालक/बालिका, छात्र/छात्राओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

उक्त विद्यालयों में कक्षा 06 से कक्षा 12 तक अनिवार्य आवासीय व्यवस्था के साथ—साथ निःशुल्क उच्च स्तरीय स्कूली सह शिक्षा हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम से प्रदान किये जाने का प्रावधान है। इन विद्यालयों में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु 60 स्थानों (सीटों) पर प्रवेश परीक्षा के माध्यम से निम्न विवरणानुसार छात्र—छात्राओं को चयनित किया जाना है।

• वर्गवार विद्यालयों में उपलब्ध स्थानों (सीटों) का आरक्षणवार विवरण :—

क्र० सं०	वर्ग/श्रेणी	विद्यालयवार उपलब्ध स्थानों (सीटों) का विवरण			
		ए०आ०आ०वि० कालसी (देहरादून)	ए०आ०आ०वि० मेहरवाना, (देहरादून)	ए०आ०आ०वि० बाजपुर (उ०सि०नगर)	ए०आ०आ०वि० खटीमा (उ०सि०नगर)
1	अनुसूचित जन जाति	48	48	48	48
2	विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह (PVTGs) (बुक्सा एवं राजि जनजाति हेतु)	3	3	3	3
3	विमुक्त जनजाति (DNT), घुमंतू जनजाति (NT), अर्द्ध घुमंतू जनजाति (SNT) के बालक/बालिका	3	3	3	3
4	कोविड/वामपंथी अतिवाद (LWE)/ Insurgencies में अपने माता—पिता को खोने वाले बालक/बालिका, विधवा माता के बालक/बालिका, दिव्यांग माता—पिता के बालक/बालिका, एकलव्य विद्यालयों के भूमि दानदाता के बालक/बालिका, अनाथ बालक/बालिका	6	6	6	6
	योग	60	60	60	60

- उक्त तालिका के क्र०सं० 1 एवं क्र०सं० 4 में अंकित वर्ग/श्रेणी में बालक—बालिका हेतु 50—50 प्रतिशत (अर्थात् क्रमशः 24—24 एवं 03—03) स्थान (सीटें) आरक्षित होंगे। प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर बालक—बालिका वर्ग में पृथक—पृथक चयन किया जाएगा।
- उक्त तालिका के क्र०सं० 2 एवं क्र०सं० 3 में अंकित वर्ग/श्रेणी प्रवेश मैरिट (प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों) के आधार पर प्रदान किया जायेगा।

• प्रवेश हेतु पात्रता :-

1. शैक्षिक अर्हता :

- a. राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में वर्तमान सत्र 2023–24 में कक्षा 05 में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राएं कक्षा 06 में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा में बैठने हेतु अहं होंगे। कक्षा 05 की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके छात्र/छात्राएं इस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अहं नहीं हैं अतः वे आवेदन न करें। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी शैक्षिक विवरण का सत्यापन अपने उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका से करायेंगे जहाँ वे वर्तमान शिक्षा सत्र में कक्षा 5 में अध्ययनरत हैं।
 - b. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (NIOS) से 31 मार्च 2024 तक या उससे पूर्व 'ब' प्रमाण पत्र दक्षता उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी भी प्रवेश परीक्षा में बैठने के योग्य होंगे अगर वे निर्धारित आयु सीमा (31 मार्च 2024 को अभ्यर्थी की आयु 10 से 13 वर्ष के मध्य) में हों। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी शैक्षिक विवरण का सत्यापन अपने उस केन्द्र/संस्था के प्रभारी से करायेंगे जहाँ से उनके द्वारा प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण की गयी है।
 - c. गृह शिक्षा ग्रहण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी (जिन्होंने किसी औपचारिक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण न की हो) भी प्रवेश परीक्षा में बैठने के योग्य होंगे अगर वे निर्धारित आयु सीमा (31 मार्च 2024 को अभ्यर्थी की आयु 10 से 13 वर्ष के मध्य) में हों। ऐसी स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी के माता/पिता/अभिभावक द्वारा आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उनकी जन्मतिथि (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जन्म प्रमाणपत्रानुसार) एवं केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षिक दक्षताएं पूर्ण करने विषयक घोषणा भी करनी होगी।
2. आयुसीमा : अभ्यर्थी की आयु 31 मार्च 2024 को 10 वर्ष से 13 वर्ष के मध्य होनी चाहिए अर्थात् उसका जन्म 31 मार्च 2011 से 01 अप्रैल 2014 के मध्य हुआ हो (उक्त दोनों तिथियां सम्मिलित हैं)। अभ्यर्थी के अध्ययनरत विद्यालय अभिलेखों में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।
 3. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड राज्य का मूल/स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
 4. अभ्यर्थी जिस श्रेणी के लिए आवेदन करेगा उस श्रेणी का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र अभ्यर्थी के पास अनिवार्यतः उपलब्ध हो। प्रवेश के समय चयनित अभ्यर्थी को, आरक्षण (जिस श्रेणी में पह चयनित होता है) का लाभ प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित श्रेणी का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसका चयन निरस्त कर दिया जायेगा।
 5. राज्य की विमुक्त जनजाति (DNT), घुमंतू जनजाति (NT), अर्द्ध घुमंतू जनजाति (SNT) के बालक/बालिका भी इस प्रवेश परीक्षा में उनके लिए इस श्रेणी में उपलब्ध स्थानों (सीटों) के सापेक्ष आवेदन कर सकेंगे।
 6. कोविड/वामपंथी अतिवाद (LWE)/ Insurgencies में अपने माता—पिता को खोने वाले बालक/बालिका, विधवा माता के बालक/बालिका, एकलव्य विद्यालयों को भूमि दानदाता के बालक/बालिका एवं अनाथ बालक/बालिका श्रेणी में राज्य के अन्य वर्गों (सामान्य/अनुजाति/अ०पि०जाति) के बालक—बालिका भी इस प्रवेश परीक्षा में उनके लिए इस श्रेणी में उपलब्ध स्थानों (सीटों) के सापेक्ष आवेदन कर सकेंगे।
 7. आवेदन—पत्र में अभ्यर्थी को ए०आ०आ०वि० कालसी (देहरादून) अथवा ए०आ०आ०वि० बाजपुर (उधमसिंहनगर) अथवा ए०आ०आ०वि० खटीमा (उधमसिंहनगर) अथवा ए०आ०आ०वि० मेहरवाना (देहरादून) में से किसी एक विद्यालय का नाम (जहाँ कक्षा 6 में प्रवेश के इच्छुक हो) अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा। चयन हेतु उसका अभ्यर्थन केवल उसी विद्यालय के लिये मान्य होगा जिसका चयन आवेदन पत्र में किया गया होगा। विद्यालय का चयन न करने अथवा एक से अधिक विद्यालयों का चयन करने पर आवेदनपत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
 8. अभ्यर्थी द्वारा आवेदनपत्र में अंकित सूचना के आधार पर उसे औपबंधिक रूप से परीक्षा में सम्मिलित करा लिया जायेगा किन्तु चयन होने की स्थिति में काउंसिलिंग के समय आवेदन पत्र में भरी गयी कोई सूचना असत्य/गलत पाये जाने अथवा प्रमाण प्रस्तुत न किये जाने पर चयन निरस्त कर दिया जायेगा। गलत तथ्य/सूचना प्रस्तुत करने के कारण अभ्यर्थी के माता/पिता/संरक्षक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है। अतः अपने पाल्य के अभ्यर्थन की भली—भाँति जॉच कर परीक्षा आवेदन पत्र में सही सूचना अंकित करें।
 9. प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन होने के उपरान्त अभ्यर्थी को चयनित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रवेश तभी दिया जायेगा जब वह सत्र 2023–24 में कक्षा 5 अथवा 'ब' प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण होने के प्रमाणपत्र सहित अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र (यथा जाति, निवास, जन्म/श्रेणी प्रमाणपत्र आदि) काउंसिलिंग के समय के संबंधित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्य के समक्ष प्रस्तुत करेगा। कोई भी

तथ्य/सूचना या प्रमाणपत्र असत्य/गलत पाये जाने या प्रस्तुत न करने पर चयन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। इस संबंध में अन्यर्थी का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

10. विद्यालयों में भौतिक/बुनियादी सुविधाओं अथवा अन्य किसी कारण से विद्यालय का संचालन वर्तमान संचालन स्थल से भिन्न किसी अन्य स्थान पर हो सकता है। अतः इस सम्बन्ध में कोई दावा मान्य नहीं होगा।
11. विद्यालय भवन का निर्माण होने तक ए0आ0आ0वि0 बाजपुर (उधमसिंहनगर) के लिए कक्षा 6 में चयनित होने वाले छात्र-छात्राओं की कक्षाएं ए0आ0आ0वि0 खटीमा (उधमसिंहनगर) एवं इसी प्रकार ए0आ0आ0वि0 मेहरवाना (देहरादून) के लिए कक्षा 6 में चयनित होने वाले छात्र-छात्राओं की कक्षाएं राज्य जनजाति शोध संस्थान उत्तराखण्ड देहरादून/किराए के भवन में संचालित की जाएंगी। सहमत होने पर ही आवेदन करें।

- आवेदन पत्र :

आवेदन—पत्र के प्रारूप की प्रतियां मुख्य शिक्षा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य सम्बन्धित एकलव्य आवासीय विद्यालयों तथा निकटतम राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के प्रधानाचार्य कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है। आवेदन—पत्र उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) की वेबसाइट www.ubse.uk.gov.in में DEPARTMENTAL EXAM आईकॉन से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

- परीक्षा केन्द्र :

परीक्षा हेतु निम्न 21 केन्द्र प्रस्तावित हैं। परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अन्यर्थी को वरीयता क्रम में 03 परीक्षा केन्द्रों के नाम अंकित करने होंगे। यथा संभव परीक्षार्थी को प्रथम वरीयता वाले परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जाएगा। किन्तु प्रथम वरीयता वाले केन्द्र पर परीक्षार्थियों की संख्या 10 से कम होने पर द्वितीय या तृतीय परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जा सकता है। वरीयता क्रम में अंकित किये गये परीक्षा केन्द्रों में परीक्षार्थियों की संख्या 10 से कम होने पर अन्य निकटतम परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा निम्नवत् परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जानी प्रस्तावित है—

क्र0 सं0	प्रस्तावित परीक्षा केन्द्र का विवरण		
	कोड	नाम	जनपद
1	101	राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरिपुर, कालसी	देहरादून
2	102	राजकीय इण्टर कॉलेज कालसी	देहरादून
3	103	राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज हरिपुर कालसी	देहरादून
4	104	कैन्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चक्राता	देहरादून
5	105	राजकीय इण्टर कॉलेज त्यूनी वि0खं0 चक्राता	देहरादून
6	106	रा0इ0का0 सभावाला, वि0खं0 विकास नगर	देहरादून
7	107	रा0इ0का0 डाकपथर, वि0खं0 विकास नगर	देहरादून
8	108	राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज उत्तरकाशी	उत्तरकाशी
9	109	राजकीय इण्टर कॉलेज कण्वघाटी (किशनपुरी)	पौड़ी
10	110	राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जोशीमठ	चमोली
11	111	राजकीय इण्टर कॉलेज नंदानगर (घाट)	चमोली
12	112	राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलुवाकोट	पिथौरागढ़
13	113	राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुनस्यारी	पिथौरागढ़
14	114	एस0डी0एस0 राजकीय इण्टर कॉलेज पिथौरागढ़	पिथौरागढ़
15	115	अ0उ0 राजकीय इण्टर कॉलेज डीडीहाट	पिथौरागढ़
16	116	राजकीय इण्टर कॉलेज लोहाघाट	चम्पावत
17	117	राजकीय इण्टर कॉलेज दिनेशपुर,	ऊधमसिंह नगर
18	118	राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खटीमा	ऊधमसिंह नगर
19	119	राजकीय इण्टर कॉलेज थारू खटीमा	ऊधमसिंह नगर
20	120	राजकीय इण्टर कॉलेज सितारांग	ऊधमसिंह नगर
21	121	रा0इ0का0 बाजपुर, वि0खं0 बाजपुर	ऊधमसिंह नगर

- आवेदन की अंतिम तिथि :-

दिनांक 11 मार्च 2024 को सायर्व 5:00 बजे तक पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र “संविव उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, विभागीय परीक्षा अनुभाग, रामनगर (नैनीताल) पिन – 244715” के पते पर पंजीकृत डाक से अवश्य पहुँच जाने चाहिए। लिफाफे के बाहर ‘एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 हेतु आवेदन पत्र’ अवश्य लिखा जाय। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त एवं अपूर्ण रूप से भरे गये आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

- परीक्षा तिथि :

प्रवेश परीक्षा माह मई 2024 द्वितीय/तृतीय सप्ताह में निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर प्रातः 10:00 बजे से 12:00 बजे तक प्रस्तावित है। प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश-पत्र साधारण डाक द्वारा अभ्यर्थियों के पत्र व्यवहार के पते पर माह मई 2024 प्रथम सप्ताह तक उपलब्ध कराए जाएंगे। जिसमें परीक्षा तिथि/समय एवं परीक्षा केन्द्र का नाम अंकित होगा। इस हेतु अभ्यर्थी अपने आवेदन-पत्र के साथ एक स्वपता लिखा लिफाफा भी संलग्न करें इसमें अपना पता (पिन कोड सहित) सही प्रकार से अंकित करें।

परीक्षा केन्द्र पर प्रवेशपत्र के साथ आवेदक को अपनी पहचान के रूप में कोई एक फोटोयुक्त पहचानपत्र (आईडी) (आधार कार्ड/बैंक पास बुक/विद्यालय का परिचयपत्र) भी अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। परीक्षा आरम्भ होने के 30 मिनट पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। विलम्ब हेतु परीक्षार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

यदि किसी अर्ह अभ्यर्थी को किसी कारण प्रवेशपत्र प्राप्त नहीं होता है तो वह परीक्षा से एक दिन पूर्व अपने को आवंटित परीक्षा केन्द्र (परिषद् की वेबसाइट में परीक्षार्थी का नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा केन्द्र आदि का पूर्ण विवरण अंकित होगा उसका अवलोकन कर) में जाकर भी प्रवेश पत्र प्राप्त कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। इस हेतु उसे परीक्षा केन्द्र पर अपना एक फोटो एवं पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- परीक्षा योजना :-

प्रवेश परीक्षा की अवधि 2 घण्टे होगी, प्रश्न-पत्र में तीन खण्ड निम्नवत् होंगे :-

खण्ड	विषय वस्तु/खण्ड	प्रश्नों की संख्या	निर्धारित अंक
(क)	मानसिक योग्यता परीक्षा	50	50
(ख)	गणित परीक्षा	25	25
(ग)	भाषा (हिन्दी) परीक्षा	25	25
कुल प्रश्नों की संख्या		100	100

- प्रश्न-पत्र में उक्तवत कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रवेश परीक्षा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा। खण्ड : (ग) भाषा (हिन्दी) को छोड़ अन्य भाग (खण्ड 'क' एवं खण्ड 'ख') हिन्दी एवं अंग्रेजी में होंगे।
- परीक्षा की अवधि दो घण्टे होगी। दिव्यांग परीक्षार्थियों को नियमानुसार प्रतिपूरक समय दिया जा सकेगा।
- प्रश्नों का स्तर प्राथमिक स्तर (कक्षा 5 तक के स्तर) के समान होगा।
- प्रश्नों का उत्तर देने लिए ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक का प्रयोग किया जायेगा। परीक्षार्थी इसका अभ्यास कर लें। प्रश्न के सामने दिये गये चार विकल्पों (A, B, C, D) में से सही विकल्प के गोले को काला करना है। ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक में उत्तर अंकित करने के लिए परीक्षार्थी केवल काली/नीली बॉल प्लाइन्ट पैन का ही प्रयोग कर सकेंगे।
- प्रत्येक सही उत्तर पर एक अंक देय होगा। एक से अधिक विकल्प पर गोला करने अथवा प्रश्न का उत्तर अंकित न करने पर कोई अंक देय नहीं होगा। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जायेगा।
- परीक्षा कक्ष में कैलकुलेटर, मोबाइल, किसी भी अन्य प्रकार की इलेक्ट्रानिक उपकरणों, मुद्रित या लिखित पाठ्य सामग्री को लाना/प्रयोग करना वर्जित है।
- परीक्षा समाप्ति के उपरान्त ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक को कक्ष निरीक्षक के पास जमा करना होगा। प्रश्नपुस्तिका को परीक्षार्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी।

- **मूल्यांकन प्रणाली :** परीक्षाफल एवं योग्यता सूची निर्माण की प्रक्रिया :

परीक्षा सम्पन्न होने के बाद परिषद् द्वारा औपबंधिक उत्तर—कुंजी (Provisional Answer Key) परिषद् की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी। यदि किसी परीक्षार्थी को परिषद् द्वारा जारी उत्तर—कुंजी (Answer Key) के किसी उत्तर पर आपत्ति होगी तो वह परिषद् को निर्धारित अवधि के अंतर्गत सप्रमाण दावा/आपत्ति भेज सकता है। बिना प्रमाण एवं निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा तथा उसे अमान्य किया जायेगा। प्राप्त दावा/आपत्ति का विषय विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण कर निराकरण किया जायेगा। दावा/आपत्ति सही पाये जाने पर उत्तर—कुंजी (Answer Key) में तदनुसार आवश्यक संशोधन या निरसन के पश्चात अंतिम उत्तर—कुंजी (Answer Key) तैयार कर परीक्षाफल का निर्माण किया जायेगा। परिषद् द्वारा जारी अंतिम उत्तर—कुंजी (Answer Key) पर किसी भी प्रकार का दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगा।

1. ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) की स्केनिंग एवं आपत्ति निराकरण के उपरांत अंतिम उत्तर—कुंजी (Answer Key) के आधार पर परिषद् द्वारा परीक्षाफल तैयार कर घोषित किया जायेगा।
 2. ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) का मूल्यांकन मशीन से किया जाता है, अतः ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) की पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होगा। पुनर्मूल्यांकन एवं सन्निरीक्षा (स्क्रूटनी) हेतु कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
 3. अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर राज्य स्तर पर प्रत्येक विद्यालय हेतु निर्धारित आरक्षणवार पृथक्—पृथक् चयन/योग्यता सूची तैयार की जायेगी। परीक्षार्थियों द्वारा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के अवरोही क्रम में योग्यता सूची तैयार की जायेगी। योग्यता सूची तैयार करते समय यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो ऐसी स्थिति में (i) ज्येष्ठ आयु वाले अभ्यर्थी को प्रवीणता क्रम में ऊपर रखा जायेगा, यदि आयु भी बराबर हों तो (ii) आयु बराबर होने पर उनके नाम वर्णमाला (हिन्दी) क्रम वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जायेगा।
 4. ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) सहित परीक्षा के अभिलेख परीक्षा आयोजन तिथि से एक वर्ष की अवधि तक संरक्षित रखे जायेंगे एवं तत्पश्चात इन्हें विनष्ट (वीड—आउट) कर दिया जायेगा।
- विद्यालयों में उपलब्ध स्थानों (सीटों) का आरक्षणवार विवरण तालिका में अंकित किसी भी वर्ग/श्रेणी में अहं अभ्यर्थी न मिलने पर रिक्त स्थानों (सीटों) पर निदेशक, जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक : 264—65/ज०जा०को०/ई०एम०आर०एस०/प्रवेश परीक्षा—24/2023—24, दिनांक 22 दिसम्बर 2023 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार चयन की कार्यवाही की जायेगी।
 - **अन्य महत्वपूर्ण निर्देश :**
 1. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित सूचना के आधार पर अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित कराया जायेगा। परीक्षा के उपरांत चयन/योग्यता सूची में आने वाले अभ्यर्थियों की अहंता की जॉच सम्बन्धित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के प्राचार्य द्वारा की जायेगी। किसी सूचना या तथ्य के त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करते हुये सम्बन्धित के माता/पिता/अभिभावक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित का होगा। इस संबंध में अभ्यर्थी का अन्य कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
 2. परीक्षा से संबंधित प्रस्तावित तिथियों/कार्यक्रमों में परिवर्तन किया जा सकता है, यदि ऐसा होता है तो इसकी सूचना समाचार पत्रों एवं विभागीय वेबसाइट के माध्यम से परीक्षार्थियों को उपलब्ध करायी जायेगी।
 3. परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी को केन्द्र व्यवस्थापकों द्वारा जारी दिशा—निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
 4. प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित किसी भी जानकारी के लिए दूरभाष नं० 05947-254275 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
 5. परिषद् के साथ पत्र—व्यवहार हेतु पता निम्नवत है –

सचिव,
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
(विभागीय परीक्षा अनुभाग),
प००आ०० रामनगर (नैनीताल), पिन : 244715

[Signature] सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)।

१५-१०२-२०२४

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल)
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी, बाजपुर, खटीमा एवं मेहरवाना (चक्राता)
प्रवेश परीक्षा 2024 हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप (कक्षा – 06)

1. विद्यालय का नाम : जहां प्रवेश के इच्छुक हैं, के सामने बने बॉक्स में सही (✓) का चिह्न लगायें।
 (केवल एक ही विद्यालय का चयन करें।)

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी, देहरादून	
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बाजपुर, उ०सि०न०	
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खटीमा, उ०सि०न०	
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मेहरवाना (चक्राता), देहरादून	

अनुक्रमांक

नवीनतम पासपोर्ट आकार
का रंगीन फोटो
(छात्र/छात्रा द्वारा
रवप्रमाणित)

2. परीक्षार्थी का नाम: (क) हिन्दी में
 (ख) अंग्रेजी में (अंग्रेजी के बड़े अंक्षरों में)
- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
- (परीक्षार्थी के नाम में दो या दो से अधिक शब्द होने पर दो शब्दों के मध्य एक खाना रिक्त होना चाहिए)
3. पिता का नाम – श्री 4. माता का नाम – श्रीमती
5. संरक्षक का नाम –

5. जन्मतिथि – (क) अंकों में

 (ख) शब्दों में

(अभ्यर्थी का जन्म 31 मार्च 2011 से 01 अप्रैल 2014 के मध्य होना चाहिए। इसमें दोनों तिथियां भी सम्मिलित हैं।)

6. दिए गये बॉक्स में से जो लागू हो उस बॉक्स में सही (✓) का चिह्न लगायें।

- (क). लिंग –

 (ख). दिव्यांग –

 दिव्यांगता का प्रकार –

 (ग). जनजाति – निम्न में से जिस जनजाति से सम्बन्धित हैं तो उस श्रेणी के आगे बने बॉक्स में सही (✓) का चिह्न लगायें—

(घ). यदि 6 (ग) में अंकित जनजाति (जौनसारी/राजी/बुक्सा/भोटिया/थारू) से अलग (मिन्न) निम्न में से किसी जनजाति श्रेणी से सम्बन्धित हैं तो उस श्रेणी के आगे बने बॉक्स में सही (✓) का चिह्न लगायें—

विमुक्त जनजाति (DNT)	घुमंतू जनजाति (NT)	अर्द्ध घुमंतू जनजाति (SNT)
----------------------	--------------------	----------------------------

- (ङ). यदि निम्न में से किसी श्रेणी से सम्बन्धित हैं तो उस श्रेणी के आगे बने बॉक्स में सही (✓) का चिह्न लगायें—
 (राज्य के अन्य वर्ग (GEN/SC/OBC) के बालक-बालिका भी इस श्रेणी में उपलब्ध स्थानों (सीटों) के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं।)

कोविड/वामपंथी अतिवाद(LWE)/ Insurgencies में अपने माता-पिता को खेने वाले बालक/बालिका	विधवा के बालक/ बालिका	दिव्यांग माता-पिता के बालक/बालिका	एकलव्य विद्यालयों को भूमि दानदाता के बालक/बालिका, अनाथ बालक/बालिका
---	-----------------------------	---	--

7.1. पत्र व्यवहार का पता –

7.2. स्थायी पता – विधायिका नं. : जनपद:

7.3. दूरभाष नं०/मोबाइल नं० कोड सहित –

8. परीक्षा केन्द्र का नाम जहां पर अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है—

1..... 2..... 3.....

9. वर्तमान शैक्षिक सत्र 2023–24 में कक्षा 05 में अध्ययनरत अथवा NIOS के 'ब' प्रमाणपत्र परीक्षा में पंजीकृत है, उस विद्यालय/संस्था का नाम :

विद्यालय/संस्था के प्रधानाध्यापक का प्रमाण पत्र

(जहाँ छात्र/छात्रा वर्तमान सत्र 2023–24 में कक्षा 5 में अध्ययनरत अथवा NIOS के ब प्रमाणपत्र में पंजीकृत है उस संस्था के प्रधानाध्यापक द्वारा किया जायेगा)

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा वर्तमान में इस विद्यालय/संस्था में कक्षा 5/NIOS के 'ब' प्रमाणपत्र परीक्षा में अध्ययनरत हैं। इनके द्वारा आवेदन पत्र में अंकित सम्पूर्ण प्रविष्टियों की जाँच भली-भांति कर ली गई है। विद्यालय/संस्था के अभिलेखानुसार इन्हें सत्यापित किया जाता है।

प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका के हस्ताक्षर मुहर सहित

गृह शिक्षा प्राप्त करने वाले आवेदकों के लिए घोषणा पत्र

मैं.....माता/पिता/संरक्षक.....(पाल्य का नाम)

शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पाल्य की जन्मतिथि.....(शब्दों में.....)
(जन्म प्रमाणपत्रानुसार) है।

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पाल्य(पाल्य का नाम) ने किसी भी विद्यालय में औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की है। उसके द्वारा शिक्षा घर पर ही ग्रहण की गयी है। मेरा पाल्य कक्षा 6 में प्रवेश हेतु आयोजित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 में भाग लेने हेतु केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षिक दक्षताएं पूर्ण करता है।

माता/पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं.....माता/पिता/संरक्षक.....(पाल्य का नाम)

शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने कक्षा 6 में प्रवेश हेतु आयोजित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 से सम्बन्धित नियमों एवं निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लिया है। मेरा पाल्य इस परीक्षा में सम्मिलित होने की समस्त अर्हताएं पूर्ण करता है। आवेदनपत्र में अंकित सभी सूचनाएं सत्य हैं। जिस श्रेणी में मेरे पाल्य द्वारा आवेदन किया गया है उससे सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र मेरे पास उपलब्ध है। प्रवेश के समय आवेदन में अंकित किसी भी सूचना के असत्य पाये जाने की स्थिति अथवा सम्बन्धित प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर सकने पर, मेरा अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा और इस सम्बन्ध मेरा कोई दावा मान्य नहीं होगा।

माता/पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर .

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम :

परीक्षार्थी के साथ सम्बन्ध :

स्थान :

दिनांक :

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल)
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी, बाजपुर, खटीमा एवं मेहरवाना (चक्राता)

सत्यापन—प्रपत्र

अनुक्रमांक

जनपद का नाम:

विकास खण्ड का नाम:

छात्र/छात्रा का नाम:

पिता का नाम: श्री

माता का नाम: श्रीमती

जन्मतिथि: – (क) अंकों में

--	--

 (M M)

--	--	--	--

 (Y Y Y Y)

(ख) शब्दों में

नवीनतम पासपोर्ट आकार
का रंगीन फोटो
(छात्र/छात्रा द्वारा
स्वप्रमाणित)

(अभ्यर्थी का जन्म 31 मार्च 2011 से 01 अप्रैल 2014 के मध्य होना चाहिए, दोनों तिथियाँ सम्मिलित हैं।)

परीक्षा केन्द्र का नाम

(परिषद् कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

परीक्षा की तिथि –

समय – प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 12:00 बजे तक।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (परीक्षाकाल में) कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल)
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024

अनुक्रमांक

प्रवेश—पत्र

परीक्षार्थी का नाम					नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो (छात्र/छात्रा द्वारा स्वप्रमाणित)	
पिता का नाम						
जन्मतिथि (अंकों एवं शब्दों में)						
लिंग		जनजाति—		दिव्यांगता हॉ / नहीं		
परीक्षा तिथि/दिन एवं समय			प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 12:00 बजे तक			
परीक्षा केन्द्र का नाम						
परीक्षार्थी के हस्ताक्षर	कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर		सचिव के हस्ताक्षर			

नोट : अनुक्रमांक, परीक्षा तिथि/दिन तथा परीक्षा केन्द्र का नाम परिषद् कार्यालय द्वारा भरा जायेगा।